REVIEW STATEMENT TO BE LAID ON THE TABLE OF PARLIAMENT ALONGWITH THE ANNUAL REPORT AND AUDITED ACCOUNTS FOR THE YEAR 2011-2012 IN RESPECT OF SCIENCE & ENGINEERING RESEARCH BOARD, NEW DELHI

A. **Organization Particulars**

Science and Engineering Research Board (SERB) has been constituted by an Act of Parliament Act, 2008 (No.9 of 2009). The provisions of SERB Act came into force with effect from 29th March, 2010 after the issue of Gazette Notification dated 29.03.2010 by the Department of Science and Technology. The budgetary allocation as Grants-in-Aid amounting to Rs.200.00 crores was provided to SERB in November 2011 and SERB became operational. Hence the Annual Report for 2011-12 relates to the period of 5 months i.e. November, 2011 to March, 2012.

B. Objective of SERB :

Promotion of basic research in Science and Engineering and to provide financial assistance to persons engaged in such research, academic institutions, research and development laboratories, industrial concerns and other agencies for such research and for matters connected therewith or incidental thereto.

C. SCHEMES :

SERB has initiated the following Schemes :-

i) Extra Mural Research Funding:

Individual centric competitive mode of funding is provided under the Extra Mural Research (EMR) scheme. The Board supports potential scientists for undertaking research in frontier areas of Science and Engineering across disciplines.

ii) Fast Track Scheme for Young Scientists

The scheme provides opportunities to young scientists (below 35 years, relaxable by 5 years for SC/ST, OBC and women) for pursuing exciting and innovative research in frontier areas. The scheme is structured to reap the benefit of research potential of the youth of the country to enhance the relative position of Indian Research and Development vis-a-vis the global scenario.

...contd..

iii) Utilisation of Scientific Expertise of Retired Scientists (USERS)

The scheme aims to utilize the expertise and potential of large number of Eminent Scientists in the country who remain active and deeply motivated to participate in science and technology development even after their retirement. The Scheme provides financial support for writing of books/monographs and state of art reports which are of immense use to the younger generation.

D. Programmes :

SERB has initiated the following Programmes:

(i) Intensification of Research in High Priority Areas (IRPHA) to support proposals in those high priority areas where multi-disciplinary and multi-institutional expertise is required which will enhance the visibility of Indian science in the global landscape.

(ii) International Travel Support to provide an opportunity to the Indian scholars to interact with their foreign counterparts to enable them to present their findings and results at an International platform for a better peer review.

(iii) Assistance to Professional Bodies and Seminar/Symposia to extend partial support on a selective basis, for organizing seminar/symposia/ training programmes/workshops/conference at national as well as international level for keeping the scientific community abreast of the latest developments in their specific areas.

AUTHENTICATED

Harsh

(DR. HARSH VARDHAN)
Minister of Science & Technology and Earth Sciences

COMPREHENSIVE DELAY STATEMENT EXPLAINING THE REASONS OF DELAY IN LAYING THE ANNUAL REPORT AND AUDITED STATEMENT OF ACCOUNTS FOR THE YEAR 2011-12 IN RESPECT OF SCIENCE & ENGINEERING RESEARCH BOARD, NEW DELHI ON THE TABLE OF THE HOSUES OF PARLIAMENT DURING THE BUDGET SESSION, 2015

The Annual Report alongwith the Audited Statement of Accounts for the year 2011-12 in respect of the Science and Engineering Research Board, New Delhi, which was required to be laid on the Table of the Lok Sabha/Rajya Sabha during the Winter Session of 2012-13, could not be laid within the stipulated date despite all out efforts made by the Board and this Department. The aforesaid papers are now being laid on the Table of both the Houses of Parliament during the Budget Session, 2015.

2. The delay in laying the Reports, which was due to the circumstances beyond control of this Department, is sincerely regretted.

Harsh

(DR. HARSH VARDHAN)
Minister of Science & Technology and Earth Sciences

SCIENCE & ENGINEERING RESEARCH BOARD (SERB), NEW DELHI

Statement of Delay Regarding Submission of Annual Report (2011-12)

S.No	Particulars	Actual Position
1.	Finalization of Accounts	November 2012
2.	Appointment of Auditors	13.02.2013
3.	Forwarding of Accounts to the Auditors	10.04.2013
4.	Audit Paras raised and received by SERB	25.04.2013
5.	Replies to audit paras furnished	25.04.2013
6.	Receipt of audited statement of accounts from Auditors	25.04.2013
7.	In case of accounts audited by C&AG Submission of accounts to C&AG Issue of Certificate by C&AG	 10.04.2013 06.09.2013
8.	Completion of Draft Annual Report	May 2014
9.	Approval/adoption by General Body of SERB Audited Statement of Accounts	 26.04.2013
10.	Completion of Hindi Translation	07.07.2014
11.	Submission of material for printing (English)	10.07.2014
12.	Submission of material for printing (Hindi)	10.07.2014
13.	Receipt of reports from printer Annual Report Audited Statement and Audited Report	 13.08.2014 13.08.2014
14.	Annual Reports received in Deptt. of Science & Technology	10.12.2014

***

विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली के संबंध में वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ संसद के पटल पर रखा जाने वाला समीक्षा विवरण ।

क. संगठन का विवरण :

विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड का गठन संसदीय अधिनियम, 2008 (वर्ष 2009 की सं. 9) के माध्यम से किया गया है। एस ई आर बी अधिनियम के प्रावधान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2010 को राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद दिनांक 29.03.2010 को लागू हुए। नवम्बर, 2011 में एस ई आर बी को लगभग 200.00 करोड़ रूपए का बजटीय आबंटन अर्थात् सहायता-अनुदान उपलब्ध कराया गया और एस ई आर बी ने कार्य करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार, वर्ष 2011 – 12 की वार्षिक रिपोर्ट 5 माह अर्थात् नवम्बर, 2011 से मार्च, 2012 तक की अवधि से संबंधित है।

ख. विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड का उद्देश्य :

विज्ञान एवं इंजीनियरी में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना और ऐसे अनुसंधान में कार्यरत व्यक्तियों, शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा इससे जुड़े एवं संबंधित मामलों को देखना हैं।

ग. योजनायें :

विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड ने निम्नलिखित योजनाओं को शुरु किया है :

i. एक्सट्राम्यूरल अनुसंधान वित्त पोषण:

एक्सट्राम्यूरल अनुसंधान (ई एम आर) योजना के अंतर्गत वित्त पोषण व्यक्ति केन्द्रित प्रतिस्पर्धी माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। बोर्ड विज्ञान एवं इंजीनियरी के विभिन्न विषयों के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए सक्षम वैज्ञानिकों की सहायता करता है।

ii. युवा वैज्ञानिकों के लिए त्वरित योजना :

इस योजना के अंतर्गत अग्रणी क्षेत्रों में आकर्षक एवं नवोन्मेषी अनुसंधान करने के लिए युवा वैज्ञानिकों (35 वर्ष से कम आयु, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट) को अवसर उपलब्ध कराया जाता है। वैश्विक परिदृश्य की तुलना में भारतीय अनुसंधान और विकास की सापेक्ष स्थिति को बेहतर बनाने के लिए देश के युवाओं की अनुसंधान क्षमता का लाभ लेने के उद्देश्य से इस स्कीम का गठन किया गया है।

...जारी है...

iii. सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक विशेषज्ञता का उपयोग (यूजर्स)

इस योजना का उद्देश्य देश में उन अनेक विख्यात वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता एवं क्षमता का उपयोग करना है जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक विकास में भाग लेने लिए सक्रिय एवं अत्यंत प्रतिबद्ध रहते हैं। इस योजना के अंतर्गत पुस्तकों/मोनोग्राफों और अत्याधुनिक रिपोर्टों के लेखन कार्य हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है जो युवा पीढ़ी के लिए अत्यधिक उपयोगी है।

घ. **कार्यक्रम :**

विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड निम्नलिखित कार्यक्रमों को भी शुरु किया है :

(i) अधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधन को तेज करना (इरफा) कार्यक्रम के अंतर्गत उन अधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रस्तावों को सहायता की जाती है जहां बहु – विषयगत एवं बहु – संस्थागत विशेषज्ञता अपेक्षित है जो वैश्विक परिदृश्य में भारतीय विज्ञान की उपस्थिति को बढ़ाएगी।

(ii) अंतरराष्ट्रीय यात्रा सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय वैज्ञानिकों को अपने विदेशी समकक्षों के साथ विचार – विमर्श करने का अवसर उपलब्ध कराया जाता है जो बेहतर समकक्ष समीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने निष्कर्षों एवं परिणामों को प्रस्तुत करने में उन्हें समर्थ बनाता है।

(iii) पेशेवर निकायों एवं गोष्ठी/ संवाद को सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत एस ई आर बी वैज्ञानिक समुदाय को उनके विशिष्ट क्षेत्रों में नवीनतम उपलब्धि से अवगत कराने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोष्ठी/ संवाद/ प्रशिक्षण कार्यक्रम/ कार्यशाला/ सम्मेलन आयोजित करने के लिए चुनिंदा आधार पर आंशिक सहायता उपलब्ध कराता है।

अधिप्रमाणित

Harsh

(डॉ.हर्ष वर्धन)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री

विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली की वर्तमान सत्र के दौरान दोनों सदनों में वर्ष 2011-12 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब का विस्तृत विवरण ।

विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षण रिपोर्ट जिसे लोक सभा/ राज्य सभा में शीतकालीन सत्र, 2012-13 के दौरान प्रस्तुत किया जाना था, को नियत तिथि तक इस संस्थान और इस विभाग के भरसक प्रयास के बावजूद संलग्नित प्रारूप में दिए गए कारणों के चलते प्रस्तुत नहीं किया जा सका । उक्त कागजात अब दोनों सदनों के समक्ष 2015 के बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत किए जा रहे हैं ।

रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब, जो विभाग के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण हुई, के लिए खेद है।

Harsh

(डॉ.हर्ष वर्धन)
विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री

विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली
वार्षिक रिपोर्ट (2011-12) को प्रस्तुत करने में विलम्ब के संबंध में विवरण

क्रम सं.	विवरण	वास्तविक स्थिति
1.	लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना	नवम्बर 2012
2.	लेखा परीक्षकों की नियुक्ति	13.02.2013
3.	लेखा परीक्षकों के पास लेखाओं का अग्रेषण	10.04.2013
4.	एस ई आर बी द्वारा उठाए गए प्राप्त लेखा परीक्षा पैरा	25.04.2013
5.	लेखा परीक्षा के पैराओं का उत्तर प्रस्तुत किया गया	25.04.2013
6.	लेखा परीक्षकों से लेखाओं के लेखा परीक्षित विवरण की प्राप्ति	25.04.2013
7.	सी एंड ए जी द्वारा लेखा परीक्षित लेखाओं के मामले में (क) सी एंड ए जी को लेखा प्रस्तुत करना (ख) सी एंड ए जी द्वारा प्रमाण – पत्र जारी	 10.04.2013 06.09.2013
8.	वार्षिक रिपोर्ट के मसौदे को पूरा किया जाना	मई 2014
9.	विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदन/ अधिग्रहण लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण	26.04.2013
10.	हिन्दी रूपांतरण को पूरा किया जाना	07.07.2014
11.	मुद्रण के लिए सामग्री को प्रस्तुत करना (अंग्रेजी में)	10.07.2014
12.	मुद्रण के लिए सामग्री को प्रस्तुत करना (हिन्दी में)	10.07.2014
13.	मुद्रक से रिपोर्ट की प्राप्ति (i) वार्षिक रिपोर्ट (ii) लेखापरीक्षित विवरण और लेखा परीक्षित रिपोर्ट	 13.08.2014 13.08.2014
14.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त हुई	10.12.2014

***